भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2774
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

संवैधानिक विसंगतियां

2774. श्री संतोष कुमार :
श्री विजय कुमार दूबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) स्वतंत्रता से लेकर अब तक विशेषकर जम्मू और कश्मीर में विद्यमान संवैधानिक विसंगतियों को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में देश में एक राष्ट्र दो संविधान की अवधारणा की समस्या का समाधान करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : यद्यपि जम्मू-कश्मीर का संविधान 17 नवम्बर, 1956 से अस्तित्व में है, राज्य की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां, उन मामलों के अलावा अन्य मामलों तक सीमित है, जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है।

भारत के संविधान के उपबंध, यथा अपेक्षित, राज्य सरकार के परामर्श/ सहमति के आधार पर, समय-समय पर जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए लागू किए जाते है ।

****